बिहार राज्य जल विकास निगम

बनाम

श्री अरुण कुमार मिश्रा और अन्य।

10 मार्च 1997

[के.रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

ग्रहणाधिकार-बिहार सरकार के सिंचाई विभाग का स्थायी कर्मचारी — तत्पश्चात्— बिहार राज्य जल विकास निगम में स्थानांतरित — बाद में निगम का समापन — निगम में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करने का प्रस्ताव — उत्तरदाता को वित्त विभाग में भेजा गया — उसने इस आधार पर अपनी पदस्थापना को चुनौती दी कि उसका ग्रहणाधिकार अब भी सिंचाई विभाग में बना हुआ है — अभिनिर्धारित — ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि सिंचाई विभाग में उसका ग्रहणाधिकार समाप्त कर दिया गया था; न ही वह निगम में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था — अतः उसे उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जाना आवश्यक था।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1997 की दीवानी अपील संख्या 1978 आदि।

पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6073/1991 में 20.11.91 के फैसले और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए वासुदेव प्रसाद, आर.के. खन्ना और आर.पी. सिंह।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

अनुमति दी गई।

यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6073/1991 में 20.11.91 को दिए गए फैसले और आदेश से संबंधित है।

पहले उत्तरदाता का खास मामला यह है कि वह सिंचाई विभाग में एक स्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था और उस पद पर उसका ग्रहणाधिकार था। बाद में उसे दूसरों के साथ बिहार राज्य जल विकास निगम, यानी अपीलकर्ता में स्थानांतरण कर दिया गया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उक्त निगम का समापन कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करने के स्थान पर उन्हें विभिन्न विभागों में समायोजित करने का प्रयास किया गया। प्रथम उत्तरदाता को वित्त विभाग में भेजा गया, जिसे उसने चुनौती दी। उसका विशिष्ट मामला यह है कि उसका ग्रहणाधिकार अब भी सिंचाई विभाग में उसके पद पर बना हुआ था। उच्च न्यायालय में इस तथ्य का खंडन किसी शपथपत्र के माध्यम से नहीं किया गया। हमारे समक्ष भी इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

निगम तथा सरकार का तर्क यह है कि चूँकि बिहार राज्य जल विकास निगम का समापन कर दिया गया है, इसलिए कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से कठिनाई उत्पन्न होगी, यदि समान स्थिति वाले कर्मचारी भी उसी प्रकार का दावा करें। हम सरकार की असुविधा को समझते हैं, किन्तु प्रत्येक मामले का निर्णय उसकी तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में किया जाना आवश्यक है।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जब प्रथम उत्तरदाता को प्रारंभ में बिहार राज्य जल विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, तब उसे मूल विभाग में अपने पद पर ग्रहणाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई थी और यह लियन तभी समाप्त होना था जब निगम में उसकी विधिवत पुष्टि हो जाती। हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि सिंचाई विभाग में उसका ग्रहणाधिकार समाप्त कर दिया गया था और न ही यह कि वह निगम में पुष्टि प्राप्त कर चुका था। चूँकि बिहार राज्य जल विकास निगम का समापन कर दिया गया, अतः वह मूल विभाग में अपने पद पर ग्रहणाधिकारी होने

के कारण उसे उसी मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जाना आवश्यक था। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।

इन परिस्थितियों में, तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण किसी विधिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता, जिससे हस्तक्षेप आवश्यक हो। अतः अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

आर. पी. याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।